न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—34/20 (2020/00097) वाद पत्र

उनवान

1—देवीलाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1—पन्नालाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—शंकरलाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—कन्हैयालाल पिता हीरालाल सुथार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादीगण
2. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 21.01.2021

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झड़ौल पटवार हल्का झड़ौल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पैतृक मौरूषी कृषि आराजियात खाता संख्या 782 में अकिंत आराजी संख्या 2081 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 2083 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 2263 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 2264 रकबा 0.25 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.78 है0 तथा खाता संख्या 781 में अकिंत आराजी संख्या 2078 रकबा 0.11 है0 गै.मु. आचा भूमि स्थित है जिसमें वादीगण का 6/7 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। इसी तरह खाता संख्या 770 में अकिंत आराजी संख्या 2266 रकबा 0.76 है0 जिसमें से कुछ रकबा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर देने से नए नम्बर 3330/2266 रकबा 0.7368 है0 कायम किये गये। खाता संख्या 782 में दर्ज कृषि आराजियात में वादीगण का 6/7 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/7 हिस्सा दर्ज है एवं खाता संख्या 770 मे दर्ज भूमि सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर है परन्तु सम्पूर्ण भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या की मौरूषी भूमियां है। आराजी संख्या 2266 रकबा 0.76 है0 भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के सामलाती भूमि है उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की 4 बीघा भूमि जो सड़क में चली जाने से मुआवजा के रूप में सन् 1983 में आ[illegible] पुत्र बड़ा होने से उनके नाम पर आंवटित करवाई जिसके साबिक नम्बर 903/2[illegible] बीघा 10 बिस्वा है। उक्त भूमि व खाता संख्या 782 में अकिंत भूमि प[illegible] 1 संयुक्त रूप में अपने 1/3—1/3 हिस्से पर काबिज होकर [illegible] प्रतिवादी स[illegible] के द्वारा वादीगण के पक्ष में दिनांक 18.09.2[illegible]मति से विभाजन [illegible] लिखापढ़ी निष्पादित की जिसमें भी प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा सभी भूमियां संयुक्त परिवार की शामलाती भूमि होने एवं सभी भूमियों में 1/3—1/3 हिस्सा होने तथा अपने अपने हिस्से पर काबिज होना स्वीकार करते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर मुरड़ा रोड़ पर तीनो भाईयो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

का निकास करवा पटवारी से सहमति से विभाजन करवा लेंगे परन्तु खाता संख्या 770 में अकिंत भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने तथा सड़क के पास होने से प्रतिवादी संख्या 1 की नियत में फितुर आने से आराजी संख्या 2266 रकबा 0.76 हैं0 मे से 0.0232 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दी है। प्रतिवादी संख्या 1 आराजी संख्या 2266 रकबा 0.76 है0 भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि को बिना विभाजन कराये ही अपने नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाते हुए विक्रय करने पर आमादा हो रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 व वादीगण ने दिनांक 06.05.2020 को 500 रूपये के स्टाम्प पर पारिवारिक विभाजन पत्र निष्पादित किया कि उक्त वादवर्णित भूमियों में 1/3—1/3 हिस्सा है तथा आपस में सहमति से विभाजन करवा लेंगे परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 मुकर गया ओर अपने नाम दर्ज भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहा है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जाए कि ग्राम झड़ौल के खाता संख्या 781 अकिंत आराजियात कुल किता 4 कुल रकबा 0.78 है0 में व खाता संख्या 770 में अकिंत आराजी संख्या 3330/2266 रकबा 0.7368 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा विक्रय की गई आराजी संख्या 3329/2266 रकबा 0.0232 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से से कम करते हुए वादीगण का 2/3 हिस्सा है जिससे उक्त हिस्से अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 3 को दिये जावे साथ ही वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजियात में आपसी सहमति से हुये विभाजन की लिखापढ़ी अनुसार बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादीगण के 2/3 हिस्से का स्वतंत्र खाता खुलवाने का आदेश प्रदान कराया जावे एवं बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि उक्त वादवर्णित आरायिजात को किसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नही करे वादीगण को अपने हक व हिस्से की भूमियों पर काश्त कर काश्त लाभ लेने देवे एवं किसी प्रकार दंखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य करावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किसी दस्तावेज का पंजीयन नही करे एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे यदि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त भूमियो को रहन बय बक्षीस कर दे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के कब्जा पुनः वादीगण को दिलाया जाए।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 01.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा अपने जवाब में अकंन किया कि ग्राम झड़ौल की आराजी संख्या 2266 रकबा 0.76 है0 भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या की पैतृक व मौरूषी नही है उक्त भूमि शंकरलाल की तन्हा खातेदारी भूमि है जो दिनांक 12.01.1983 को आवंटित हुई जिसके साबिक नम्बर 903/2 रकबा 3.5 बीघा थी उक्त भूमि पर वादीगण का कोई अधिकार नही है। कलम संख्या 1 में अकिंत आराजियात ही वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की मौरूषी है आवंटन शुदा भूमि केवल शंकरलाल को ही आंवटन हुई पैतृक भूमियो में वादीगण ने अपनी बहनो के नाम विरासत में दर्ज करवाया ताकि उन्हे ज्यादा हिस्सा मिल सके और हकत्याग केवल मात्र अपने नाम करवा लिया। आवंटित भूमि पैतृक नही होकर अलग अलग रूप से काबिज है। आराजी संख्या 2266

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

सड़क के समीप होने से वादीगण अपना हक जता रहे है जबकि भूमि केवल प्रतिवादी संख्या 1 की तन्हा खातेदारी है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि आराजी संख्या 2266 रकबा 0.76 है0 भूमि प्रतिवादी शंकरलाल की आवंटन शुदा है जो दिनांक 12.01.1983 को आवंटित हुई जिस पर वादीगण का कोई हक व हिस्सा नही है। जबरन प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि में प्रवेश कर थोहर की बाड़ काटकर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जिस पर थाना रायपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रतिवादी को जबरन उक्त भूमि से बेदखल करना चाहते है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विरूद्व प्रतिवादी खारीज फरमावे।

दौराने सुनवाई दिनांक 21.01.2021 को वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 मय अधिवकता के उपस्थित होकर उभयपक्ष द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी के तहत् पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगणो की ओर से आपस में राजीनामा हो गया है जो इस प्रकार है —

यह कि वादीगण के नाम ग्राम झड़ौल के खाता संख्या 782 मे अकिंत आराजी संख्या 2263, 2264, 2081, 2083 कुल किता 4 रकबा 0.78 है0 भूमि स्थित है जिसमें से आराजी संख्या 2081 व 2263 कुल किता 2 रकबा 0.35 है0 सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी जावे एवं आराजी संख्या 2083 एवं 2264 कुल किता 2 रकबा 0.43 है0 सम्पूर्ण वादीगण के नाम 1/2, 1/2 हिस्से से दर्ज कर दी जाए तथा आराजी संख्या 2078 रकबा 0.11 है0 मे से रकबा 0.02 है0 गै.मु. चाह वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के 1/3, 1/3 हिस्सेनुसार शामलाती दर्ज करते हुए शेष रकबा 0.09 है0 सम्पूर्ण वादीगण के नाम दर्ज करने व प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज आराजी संख्या 3330/2266 रकबा 0.7368 है0 भूमि (जो सम्पूर्ण प्रतिवादी 1 के नाम दर्ज है) मे से 0.23 है0 भूमि जो आराजी संख्या 2263 की उत्तरी पूर्वी पाली से 4 फीट जगह छोड़ते हुए आगे कन्हैयालाल सुथार की निर्मित पक्की दीवार तक एवं पूर्वी दिशा में सड़क तक वादीगण के नाम 1/2, 1/2 हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की घोषणात्मक एवं विभाजन की डिक्री जारी फरमाई जावे। साथ ही आराजी संख्या 3330/2266 का शेष रकबा 0.5068 है0 भूमि वादीगण के हिस्से के दोनो तरफ प्रतिवादी संख्या 1 के रहेगी जिसे संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है। इस राजीनामे से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 पांबद रहेंगे तथा एक दुसरे के उपयोग उपभोग एवं आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। वादीगण का जो 1/2 हिस्सा राजीनामे दिया गया है जिसमें देवीलाल का हिस्सा उत्तर दिशा कि ओर व पन्नालाल का हिस्सा दक्षिण दिशा में रखाया जावे ओर इसी अनुसार घोषणात्मक एवं विभाजन की डिकी फरमाई जाकर तदनुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम अमल दरामद कराने का आदेश प्रतिवादी संख्या 3 को प्रदान फरमावे।

मैने पत्रावली में का अवलोकन किया वादवर्णित कॉलम 1 में वर्णित भूमि शामलाती एवं कॉलम 2 में वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या [illegible] नाम दर्ज रेकार्ड है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के राजीनामा अनुसार कॉलम [illegible] वर्णित भूमि को मिलाते हुए आपसी रजामंदी से विभाजन कराना चाहते है जहां वादीगण एवं प्रतिवादी खातेदारान आपस में रजामंदी अनुसार विभाजन करने में सहमत हो और विभाजन में सहमति से आपस में रकबा कमी बेशी भी रखा जाता है तो भी न्यायालय द्वारा विभाजन का वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवरण के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वर्णित भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद में घोषणात्मक डिक्री जारी की जाना उचित है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक 21.01.2021 को प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झड़ौल के खाता संख्या 782 में दर्ज आराजी संख्या 2081 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 2263 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 भूमि एवं खाता संख्या 770 में अकिंत आराजी संख्या 3330/2266 रकबा 0.7368 है0 भूमि मे से (आराजी संख्या 2263 की उत्तरी पूर्वी पाली से 4 फीट जगह छोड़ते हुए आगे कन्हैयालाल की निर्मित पक्की दिवार तक एवं पूर्व में सड़क तक वादीगण को इस आराजी संख्या मे से 0.23 है0 भूमि को छोड़ते हुए उत्तर ओर दक्षिण तरफ का रकबा) रकबा 0.5068 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल पिता मांगीलाल कुम्हार के नाम एवं खाता संख्या 782 में अकिंत आराजी सख्यां 2083 रकबा रकबा 0.18 है0 मे से 0.10 है0 (उत्तरी भाग) एवं आराजी संख्या 2264 रकबा 0.25 है0 मे से 0.12 है0 (उत्तरी भाग) एवं खाता संख्या 770 में अकिंत आराजी संख्या 3330/2266 रकबा 0.7368 मे से 0.23 है0 जो आराजी संख्या 2263 की उत्तरी पूर्वी पाली से 4 फीट जगह छोड़ते हुए आगे कन्हैयालाल की निर्मित पक्की दिवार तक एवं पूर्व में सड़क तक वादीगण को इस आराजी संख्या मे से 0.23 है0 भूमि मे से 0.11 है0 भूमि (उत्तर भाग) कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है0 भूमि वादी संख्या 1 देवीलाल पिता मांगीलाल कुम्हार के नाम एवं खाता संख्या 782 में अकिंत आराजी सख्यां 2083 रकबा 0.18 है0 मे से 0.08 है0 (दक्षिण भाग) एवं आराजी संख्या 2264 रकबा 0.25 है0 मे से 0.13 है0 (दक्षिण भाग) एवं खाता संख्या 770 में अकिंत आराजी संख्या 3330/2266 रकबा 0.7368 मे से 0.23 है0 जो आराजी संख्या 2263 की उत्तरी पूर्वी पाली से 4 फीट जगह छोड़ते हुए आगे कन्हैयालाल की निर्मित पक्की दिवार तक एवं पूर्व में सड़क तक वादीगण को इस आराजी संख्या मे से 0.23 है0 भूमि मे से 0.12 है0 भूमि (दक्षिण भाग) कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है0 भूमि वादी संख्या 2 पन्नालाल पिता मांगीलाल कुम्हार के नाम खातेदारी घोषित की जाती है एवं आराजी संख्या 2078 कुल रकबा 0.11 है0 गै.मु. आचा में 10/11 हिस्सा वादीगण देवीलाल, पन्नालाल पिता मांगीलाल का एवं 01/11 हिस्सा शंकरलाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी झड़ौल की सयुंक्त खातेदारी घोषित की जाती है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ हेतु तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.01.2021
सुन्दरलाल बम्बोडा
उपखण्ड कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–34/20 (2020/00097) वाद पत्र

उनवान

1–देवीलाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1–पन्नालाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–शंकरलाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–कन्हैयालाल पिता हीरालाल सुथार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन किसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में दिनांक 21.01.2021 को प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झड़ौल के खाता संख्या 782 में दर्ज आराजी संख्या 2081 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 2263 रकबा 0.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 है0 भूमि एवं खाता संख्या 770 में अकिंत आराजी संख्या 3330/2266 रकबा 0.7368 है0 भूमि मे से (आराजी संख्या 2263 की उत्तरी पूर्वी पाली से 4 फीट जगह छोड़ते हुए आगे कन्हैयालाल की निर्मित पक्की दिवार तक एवं पूर्व में सड़क तक वादीगण को इस आराजी संख्या मे से 0.23 है0 भूमि को छोड़ते हुए उत्तर ओर दक्षिण तरफ का रकबा) रकबा 0.5068 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 शंकरलाल पिता मांगीलाल कुम्हार के नाम एवं खाता संख्या 782 में अकिंत आराजी सख्यां 2083 रकबा रकबा 0.18 है0 मे से 0.10 है0 (उत्तरी भाग) एवं आराजी संख्या 2264 रकबा 0.25 है0 मे से 0.12 है0 (उत्तरी भाग) एवं खाता संख्या 770 में अकिंत आराजी संख्या 3330/2266 रकबा 0.7368 मे से 0.23 है0 जो आराजी संख्या 2263 की उत्तरी पूर्वी पाली से 4 फीट जगह छोड़ते हुए आगे कन्हैयालाल की निर्मित पक्की दिवार तक एवं पूर्व में सड़क तक वादीगण को इस आराजी संख्या मे से 0.23 है0 भूमि मे से 0.11 है0 भूमि (उत्तर भाग) कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है0 भूमि वादी संख्या 1 देवीलाल पिता मांगीलाल कुम्हार के नाम एवं खाता संख्या 782 में अकिंत आराजी सख्यां 2083 रकबा रकबा 0.18 है0 मे से 0.08 है0 (दक्षिण भाग) एवं आराजी संख्या 2264 रकबा 0.25 है0 मे से 0.13 है0 (दक्षिण भाग) एवं खाता संख्या 770 में अकिंत आराजी संख्या 3330/2266 रकबा 0.7368 मे से 0.23 है0 जो आराजी संख्या 2263 की उत्तरी पूर्वी पाली से 4 फीट जगह छोड़ते हुए आगे कन्हैयालाल की निर्मित पक्की दिवार तक एवं पूर्व में सड़क तक वादीगण को इस आराजी संख्या मे से 0.23 है0 भूमि मे से 0.12 है0 भूमि (दक्षिण भाग) कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है0 भूमि वादी संख्या 2 पन्नालाल पिता मांगीलाल कुम्हार के नाम खातेदारी घोषित की जाती है एवं आराजी संख्या 2078 कुल रकबा 0.11 है0 गै.मु. आचा में 10/11 हिस्सा वादीगण देवीलाल, पन्नालाल पिता मांगीलाल का एवं 01/11 हिस्सा शंकरलाल पिता मांगीलाल कुम्हार निवासी झड़ौल के सह खातेदारी घोषित की जाती है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 21.01.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.30 17:46:13 IST
Reason: SelfAttested

21.01.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा